न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 41/11

हरदेवा आयु 75 वर्ष आत्मज श्री पन्ना जाति रेगर निवासी ग्राम औलासपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सुखपति पत्नी रामगोपाल आयु 43 वर्ष जाति जाटव निवासी ग्राम दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. श्रीमती अनिता पत्नी राम मेहर आयु 49 वर्ष जाति जाटव निवासी तलहेडी तहसील गनोर जिला सोनीपत (हरियाणा) हाल निवासी ग्राम दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. भूरा आत्मज हरदेवा आयु 53 वर्ष जाति चमार निवीास ग्राम सांभरवाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. श्रीमती पूजा पत्नी सतपाल जाति जाटव बालिग निवासी लालहेडी तहसील गेनोर जिला सोनीपत (हरियाणा) हाल दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 01.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2011 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि खतौनी संख्या 129 पुराना 101 की भूमि खसरा नम्बर 330 रकबा 78 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम साम्भरवाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है । उक्त भूमि में सुखपति पत्नी रामगोपाल हिस्सा 2/6 अनिता पत्नी राममेहर हिस्सा 1/6, भूरा आत्मज हरदेवा चमार हिस्सा 1/6 व पूजा पत्नी सतपाल जाति जाटव हिस्सा 2/6 दर्ज है । वादग्रस्त आराजी में भूरा वल्द हरदेवा प्रतिवादी क्रम 3 के कब्जे काश्त व खाते की आराजी 1/6 को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से दिनांक 29.10.2007 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया । और उक्त बेचान के आधार पर उक्त भूमि इंतकाल संख्या 05 दिनांक 14.11.2007 से वादी के नाम दर्ज

की जा चुकी है । प्रतिवादीगण क्रम 2 से 4 अनाधिकृत रूप से वादी को उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते हैं और जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण क्रम 2 से 4 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे के वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 78 बीघा 06 बिस्वा में से 1/6 हिस्से जो प्रतिवादी भूरा से वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया था पर प्रतिवादी क्रम 2 से 4 अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप कर कब्जा नहीं करे वादी की फसल को बरबाद नहीं करे और वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । यदि दौराने वाद उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण कब्जा कर ले तो कब्जा वादी को वापस दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादी ने वादग्रस्त आराजी में से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 3 से क्रय किया जाना बताते हुए स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जबकि उक्त भूमि सहखातेदार से दिनांक 11.07.2005 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी क्रम 2 ने क्रय कर कब्जा संभाल लिया था तब से ही प्रतिवादी क्रम 2 उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है । वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक नहीं है और उसका उक्त भूमि पर कब्जा भी नहीं है । जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है । ऐसी स्थिति में वादी का वाद चलने योग्य नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2011 के द्वारा प्रतिवादीगण क्रम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2011 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में विधिवत रूप से तनकी कायम कर दी थी फिर भी तनकीवार पूर्ण साक्ष्य एकत्रित न कर केवल प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद खारिज कर दिया। प्रतिवादी क्रम 2 अनिता जाति से जाट होने से सवर्ण जाति की है । अनिता की जाति जाटव नहीं है प्रतिवादी क्रम 03 भूरा पुत्र हरदेवा जाति से चमार है एवं अनुसूचित जाति का सदस्य है । प्रतिवादी क्रम 3 भूरा द्वारा वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी क्रम 2 अनिता को विक्रय नहीं किया गया था । भूरा विक्रय करने में सक्षम भी नहीं था । अवैध एवं प्रभावशून्य बेचान से अनिता को कोई हक– हकूक प्राप्त नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भूरा के हिस्से को वादी अपीलान्ट ने दिनांक 29.10.2007 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है और राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण अपीलान्ट के नाम इंतकाल भी खोला गया था । रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के हस्तक्षेप करने पर स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया था जिसमें जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया और दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात भी कायम की गई इसके उपरान्त दिनांक 28.07.2010 को प्रतिवादी क्रम 2 अनिता के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है । प्रतिवादी अनिता ने भूरा से उसके हिस्से की भूमि को क्रय करना अपने जवाबदावे में एवं प्रार्थना पत्र में अभिकथित किया है । प्रतिवादी अनिता जाति से जाट होने से सवर्ण जाति की है । अनिता की जाति जाटव नहीं है। प्रतिवादी क्रम 3 भूरा पुत्र हरदेवा जाति से चमार है एवं अनुसूचित जाति का सदस्य है । प्रतिवादी क्रम 3 भूरा द्वारा वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादी क्रम 2 अनिता को विक्रय नहीं किया गया था । भूरा विक्रय करने में सक्षम नहीं था । अवैध एवं प्रभावशून्य बेचान से अनिता को कोई हक–हकूक प्राप्त नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी क्रम 2 अनिता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है जबकि वादकारण **Mixed Question of facts and law** होता है । जिसको तनकी के आधार पर भी तय किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था जिसमें प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया था । इसके उपरान्त एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रतिवादी क्रम 2 अनिता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिसमें कथन किया कि वादी के द्वारा खसरा नम्बर 330 रकबा 78 बीघा 06 बिस्वा में 1/6 हिस्से को प्रतिवादी क्रम 3 से क्रय किया जाना बताते हुए स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जबकि वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी क्रम 03 ने अपने 1/6 हिस्से को दिनांक 11.07.2005 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी क्रम 02 अनिता को बेचान कर कब्जा संभला दिया है तब से इस आराजी पर प्रतिवादीगण क्रम 2 काबिज काश्त है । वादी के पक्ष में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 05 दिनांक 14.11.2007 कानूनी कार्यवाही के जरिये निरस्त किया जा चुका है जिसके निरस्ती की पुष्टि अपीलीय न्यायालय द्वारा भी की जा चुकी है । इस प्रकार वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं है जबकि स्थायी निषेधाज्ञा हेतु खातेदार काश्तकार द्वारा ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है । वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । ऐसी स्थिति में वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं होने व वादी का भूमि पर कब्जा नहीं होने के कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया जावे । इस प्रार्थना पत्र के साथ अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी के निर्णय *दिनांक 12.08.2008 की प्रति जिसमें अनिता के* द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या कि अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक किया गया था को खारिज किया गया है । अपीलान्ट की द्वितीय अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा दिनांक

30.07.2009 को खारिज की जा चुकी है । नकल जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 में अपीलान्ट के पक्ष में खोले गये नामान्तरकरण निरस्त करने का नोट अंकित गया है । अपीलान्ट के द्वारा जो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी क्रम 2 जाति से जाट है जाटव नहीं है । प्रतिवादी क्रम 03 अनुसूचित जाति का सदस्य है । प्रतिवादी क्रम 03 ने प्रतिवादी क्रम 02 को आराजी का विक्रय नहीं किया है । भूरा विक्रय करने में सक्षम नहीं था । विक्रय पत्र धारा 42 बी के उल्लंघन में अवैध एवं प्रभावशून्य है जिससे अनिता को कोई हक–हकूक प्राप्त नहीं होते हैं । न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के आदेश विधि–विरूद्ध हैं जिनके खिलाफ निगरानी जैरकार है । नामान्तरकरण की प्रक्रिया एक फिसकल कार्यवाही होती है जिससे आधार पर पक्षकारों के हक–हकूक तय नहीं किये जा सकते । इस प्रकार प्रार्थी अपीलान्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में जो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें यह कथन किया है कि अनिता प्रतिवादी क्रम 2 के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है वह धारा 42 बी के उल्लंघन में अवैध एवं प्रभावशून्य है ।

9. पत्रावली में अनिता के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है जो कि सन् 2005 में पंजीकृत हुआ है उसमें अनिता की जाति जाटव अंकित की गई है और एक अन्य विक्रय पत्र जो कि अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किया गया है उसकी फोटो प्रति भी संलग्न है यह विक्रय पत्र दिनांक 29.10.2007 को पंजीकृत हुआ है । इस प्रकार अपीलान्ट वादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र से पूर्व भूरा वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादी क्रम 02 अनिता को बेचान कर चुका है । ऐसी स्थिति में उन्हें पुनः वादग्रस्त आराजी को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था । इस विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट वादी को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्राप्त नहीं हो सकते । जहॉ तक अनिता के अनुसूचित जाति में होने अथवा नहीं होने का प्रश्न है विक्रय पत्र में उनकी जाति जाटव अंकित की गई है । यदि वो अनुसूचित जाति की सदस्य नहीं हैं और धारा 42 बी के उल्लंघन में यह विक्रय हुआ है तो तहसीलदार, हिण्डोली धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है परन्तु इस आधार पर वादी अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2011 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 01.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 41/11

हरदेवा आयु 75 वर्ष आत्मज श्री पन्ना जाति रेगर निवासी ग्राम औलासपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती सुखपति पत्नी रामगोपाल आयु 43 वर्ष जाति जाटव निवासी ग्राम दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. श्रीमती अनिता पत्नी राम मेहर आयु 49 वर्ष जाति जाटव निवासी तलहेडी तहसील गनोर जिला सोनीपत (हरियाणा) हाल निवासी ग्राम दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. भूरा आत्मज हरदेवा आयु 53 वर्ष जाति चमार निवीास ग्राम सांभरवाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. श्रीमती पूजा पत्नी सतपाल जाति जाटव बालिग निवासी लालहेडी तहसील गेनोर जिला सोनीपत (हरियाणा) हाल दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2011 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 59/दावा/2008

हरदेवा आयु 75 वर्ष आत्मज श्री पन्ना जाति रेगर निवासी ग्राम औलासपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—वादी

बनाम

1. श्रीमती सुखपति पत्नी रामगोपाल आयु 43 वर्ष जाति जाटव निवासी ग्राम दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. श्रीमती अनिता पत्नी राम मेहर आयु 49 वर्ष जाति जाटव निवासी तलहेडी तहसील गनोर जिला सोनीपत (हरियाणा) हाल निवासी ग्राम दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. भूरा आत्मज हरदेवा आयु 53 वर्ष जाति चमार निवीास ग्राम सांभरवाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. श्रीमती पूजा पत्नी सतपाल जाति जाटव बालिग निवासी लालहेडी तहसील गेनोर जिला सोनीपत (हरियाणा) हाल दरा का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2011 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 01.04.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री विनय सक्सेना एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2011 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 01.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

1/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा